

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

paddrda2012.balrampur@gmail.com

आदेश

बलरामपुर, दिनांक / 11 / 12 / 2017

क्रमांक /7643/ शिक्षा/जि.पं. /2017 : : छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 यथा संशोधित तथा समय-समय पर प्रकाशित नियमों के अधीन एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पं.) की सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा परिणाम वर्ष 2017 के आधार पर जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सामान्य प्रशासन समिति के बैठक दिनांक 07-12-2017 के अनुमोदन पश्चात् निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अर्थाई रूप से स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित विद्यालयों में व्याख्याता (पंचायत) ,विषय - भूगोल के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 पर ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा की जाती है :-


क्र.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	लिंग	पदस्थापना विद्यालय	विकासखण्ड	रिगार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	110870002	MAHESH KUMAR	OBC	M	GOVT.GILRS HIGHER SECONDARY SCHOOL SANAWAL	RAMCHANDRRPUR	
2	110870235	ANIMA LAKRA	ST	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BARWAHI	RAMCHANDRAPUR	

नियम एवं शर्तें:-

- व्याख्याता पंचायत के लिये चयनित उम्मीदवार को स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, जिसे विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के कार्य का आकलन किया जावेगा। दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि पश्चात् कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो परिवीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि के अंत में कार्य का आकलन किया जावेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- दो वर्ष सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् व्याख्याता पंचायत को कार्य, आचरण तथा कर्तव्य पालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा।
- व्याख्याता पंचायत को परिवीक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जावेगा।
- पदोन्नति के लिये छ0ग10 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
- व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति लघुशास्ति के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी रहेंगे।
- कर्मचारी की सेवायें, या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा शर्तें यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी।
- इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जावेगी।
- ये नियुक्तियां प्रावधिक हैं, तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय पर निर्भर रहेंगी।



10. भूतपूर्वक सैनिक संवर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं विभाग की सेवा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र में स्नातक योग्यता संबंधी कोई विसंगति पाये जाने पर संबंधित की आदेश निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। पुलिस विभाग से किये गये चरित्र सत्यापन में यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकूल अपराधिक टिप्पणी पायी जाती है, तो संबंधित की नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
12. चयनित उम्मीदवार को सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज में दिनांक 23-12-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थिति मय निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र मूल में लेकर उपस्थित होंगे। कार्यभार ग्रहण के समय स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत कार्यालय द्वारा अनुमति पश्चात ही अपने नाम के सम्मुख विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
13. चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधानित रूप से कार्यभार ग्रहण के समय किये जाने के दौरान अथवा बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण-पत्रों के तथ्य प्रकाश में लाये जाने पर, अवैध/फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्त व्याख्याता पंचायत की, बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति निरस्त की जावेगी। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं भविष्य में फर्जी प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
14. उपरोक्त समयावधि में कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
15. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्त संबंधित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण तिथि के एक माह के भीतर मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
17. पदस्थापना स्थल परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी।
18. व्याख्याता पंचायत भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अथवा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की जानकारी प्रमाणित पाये जाने पर किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
19. नियुक्ति स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा।
20. चयनित उम्मीदवार यदि बीएड उपाधिधारी नहीं है, तो नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी। यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के भीतर उम्मीदवार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त नहीं की जाती है, तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
21. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 के तहत समस्त सेवा शर्तें समान रूप से लागू होंगी।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज
बलरामपुर, दिनांक 11/12/2017


पृ.क्र./ /शिक्षा/जि.पं. /2017

7644

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. महानिदेशक, राज्य सैनिक पुनर्वास कल्याण केन्द्र रायपुर। सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त सह संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, रायपुर।
5. आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
10. पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
12. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

13. जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को समचनार्थ।
15. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत/विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. प्राचार्य, उ०मा०वि०जनपद पंचायत
..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज